Date - 19 Feb 2022

‘मॉब लिंचिंग’

- ‘मॉब लिंचिंग’ के खिलाफ पिछले चार वर्षों में कम से कम चार राज्यों द्वारा पारित विधेयकों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार ‘भारतीय दंड संहिता’ (आईपीसी) के तहत मानती है। लिंचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।
- ‘मॉब लिंचिंग’ के खिलाफ विधेयक पारित करने वाले राज्यों में झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर शामिल हैं।

विधेयक पास होने में देरी के कारण:

- 2019 में गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित करते हुए कहा कि मंत्रालय को ‘राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक’ प्राप्त हुए हैं।
- राष्ट्रपति को ऐसे कानून के मामले में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। इन मामलों में मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- राज्य द्वारा पारित विधेयकों की गृह मंत्रालय द्वारा तीन आधारों पर जांच की जाती है – केंद्रीय कानूनों के साथ असंगति, राष्ट्रीय या केंद्रीय नीति से विचलन, और कानूनी और संवैधानिक वैधता।

मॉब लिंचिंग की हालिया घटनाएं:

- दिसंबर 2021 में, सिख संगत (सिख धर्म के भक्त) द्वारा अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा (स्वर्ण मंदिर) में सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर करने का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।
- 2021 में असम में एक 23 वर्षीय छात्र नेता की भीड़ द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।
- अक्टूबर 2021 में, एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, उसके अंगों को काट दिया गया और सिंघू सीमा पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, जहां ‘तीन कृषि कानूनों’ के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन किया गया था।
- अगस्त 2021 में इंदौर में एक चूड़ी विक्रेता की पहचान छिपाने के आरोप में भीड़ ने पिटाई कर दी। वह आदमी किसी तरह बच गया और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
- मई 2021 में, गुरुग्राम के एक 25 वर्षीय व्यक्ति को दवा खरीदने के लिए बाहर जाने पर कथित रूप से पीट-पीट कर मार डाला गया था।

Yojna IAS

'लिंचिंग' का अर्थ:

- धर्म, नस्ल, जातीयता, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खाने की आदतों, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता या किसी अन्य संबंधित आधार, या तत्काल हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने, आदि के आधार पर मॉब लिंचिंग है।
- इसमें एक दोषी को अनियंत्रित भीड़ द्वारा उसके अपराध के लिए या कभी-कभी केवल अफवाहों के आधार पर, बिना अपराध किए दंडित किया जाता है, या उसे पीट-पीट कर मार डाला जाता है।

ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाता है?

- मौजूदा 'भारतीय दंड संहिता' (आईपीसी) के तहत, ऐसी घटनाओं के लिए कोई "अलग" परिभाषा नहीं है। लिंचिंग की घटनाओं पर आईपीसी की धारा 300 और 302 के तहत कार्रवाई की जाती है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति को मारता है, उसे मौत या आजीवन कारावास, साथ ही साथ जुर्माने की सजा दी जाएगी। 'हत्या करना' एक गैर-जमानती, संज्ञेय और गैर-शमनीय अपराध है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश:

- लिंचिंग एक 'अलग अपराध' होगा और निचली अदालतों को आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम सजा देकर मॉब लिंचिंग के लिए एक मजबूत उदाहरण पेश करना चाहिए।
- राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपाय करने के लिए अधिकृत करें। राज्य सरकारें उन जिलों, तहसीलों, गांवों की पहचान करें जहां हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं।
- नोडल अधिकारी मॉब लिंचिंग से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय मुद्दों को राज्य के डीजीपी के समक्ष पेश करेंगे|
- केंद्र और राज्य सरकारों को रेडियो, टेलीविजन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करना होगा कि किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटना में शामिल होने पर कानून के अनुसार सजा दी जा सकती है|
- केंद्र और राज्य सरकारें रेडियो, टेलीविजन और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर मॉब लिंचिंग और हिंसा के गंभीर परिणामों के बारे में प्रसारित करेंगी।
- राज्य पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद संबंधित पुलिस थाना मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करेगा.
- मॉब लिंचिंग से प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकारें मुआवजा योजना शुरू करेंगी।
- यदि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, तो इसे जानबूझकर की गई लापरवाही माना जाएगा।

समय की आवश्यकता:

- हर बार ऑनर किलिंग, घृणा अपराध, डायन-हत्या या मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, इन अपराधों से निपटने के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं।
- लेकिन, तथ्य यह है कि ये अपराध और कुछ नहीं बल्कि हत्याएं हैं और आईपीसी और सीआरपीसी के तहत मौजूदा प्रावधान ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

Yojna IAS

- पूनावाला मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ, हम मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं। इन अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों और प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।

स्वामित्व योजना

- सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश के सभी 6,00,000 गांवों का डिजिटल मैप तैयार करने की योजना बनाई जा रही है और SVAMITVA योजना के तहत 100 शहरों के लिए अखिल भारतीय 3डी मैप तैयार किया जाएगा.
- अब तक किए गए ड्रोन सर्वेक्षणों में लगभग 1,00,000 गांवों को शामिल किया गया है और 77,527 गांवों के नक्शे राज्यों को सौंपे गए हैं।
- स्वामीत्व योजना के तहत लगभग 27,000 गांवों में संपत्ति कार्ड भी वितरित किए गए हैं।

गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas – SVAMITVA:

- यह योजना 'पंचायती राज दिवस' (24 अप्रैल, 2020) पर शुरू की गई थी। शुरुआत में इसे केवल 9 राज्यों के लिए लॉन्च किया गया था। पिछले साल यह योजना सभी राज्यों में लागू की गई थी।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि का स्वामित्व मानचित्रण ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य भारत में 'संपत्ति रिकॉर्ड रखरखाव' में क्रांति लाना है।
- यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है।
- इस योजना के तहत गांवों में आवासीय भूमि के अविवादित अभिलेखों को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन का उपयोग करके भूमि की माप की जाएगी।
- राज्यों द्वारा ड्रोन-मैपिंग द्वारा सटीक माप का उपयोग करके गांव में प्रत्येक संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए जाएंगे। इन कार्डों को संपत्ति मालिकों को सौंप दिया जाएगा और भू-राजस्व अभिलेख विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।

इस योजना के लाभ:

- इस योजना के तहत प्राप्त आधिकारिक प्रमाण पत्र के माध्यम से, संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति पर बैंक ऋण और अन्य संपत्ति संबंधी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- ग्राम संपत्तियों से संबंधित इन अभिलेखों को पंचायत स्तर पर भी रखा जाएगा, ताकि संपत्ति मालिकों से जुड़े करों की वसूली की जा सके. इन स्थानीय करों के पैसे का उपयोग ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
- भूमि और आवासीय संपत्तियों को भूमि-स्वामित्व विवादों से मुक्त करने और एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने के परिणामस्वरूप, संपत्तियों का बाजार मूल्य बढ़ने की संभावना है।
- सटीक संपत्ति रिकॉर्ड का उपयोग कर संग्रह, नए भवन और बुनियादी ढांचे के निर्माण योजनाओं, परमिट जारी करने और संपत्ति पर अवैध कब्जा लेने के प्रयासों को विफल करने आदि के लिए किया जा सकता है।

Yojna IAS

योजना की आवश्यकता और महत्व:

- यह देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ग्रामीणों के पास अपनी भूमि के स्वामित्व को साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं, इस योजना की आवश्यकता तब महसूस की गई थी।
- अधिकांश राज्यों में गांवों में संपत्तियों के सत्यापन/प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण और माप नहीं किया गया है. यह नई योजना संपत्ति विवाद के कारण सामाजिक संघर्ष को कम करने, अधिकारिता और अधिकार के लिए एक उपकरण बनने में सक्षम है।

गिलोय: आयुष मंत्रालय

- हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि गिलोय/गुडुची (टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया) एक सुरक्षित दवा है और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसका शरीर पर कोई विषैला प्रभाव नहीं पड़ता है।
- इससे पहले, मीडिया के कुछ वर्गों ने गिलोय/गुडुची को एक बार फिर जिगर की विफलता से जोड़ा है।
- आयुष मंत्रालय के मुताबिक किसी भी दवा की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है. किसी दवा की खुराक एक प्रमुख कारक है जो उस विशेष दवा की सुरक्षा को निर्धारित करती है।

गिलोय/गुडुची के बारे में:

- गिलोय पेड़ों के सहारे उगने वाली एक झाड़ी है, जो 'मेनिसपर्मासी' वनस्पति परिवार से संबंधित है।
- यह पौधा भारत के लिए स्थानिक है, लेकिन यह चीन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है।
- इसका उपयोग बुखार, संक्रमण, दस्त और मधुमेह सहित कई तरह की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है।

गिलोय/गुडुची के औषधीय अनुप्रयोग:

- विभिन्न चयापचय संबंधी विकारों के उपचार में इसके स्वास्थ्य लाभों और एक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में इसकी क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- यह एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक, एंटी-हाइपरलिपिडेमिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव, कार्डियोवस्कुलर प्रोटेक्टिव, न्यूरोप्रोटेक्टिव, ओस्टियोप्रोटेक्टिव, रेडियोप्रोटेक्टिव, एंटी-डिप्रेशन, एडाप्टोजेनिक और एनाल्जेसिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीपीयरेटिक, एंटी-डायरियल, एंटी-अल्सर और एंटी-माइक्रोबियल के रूप में कार्य करता है और इसे कैंसर रोधी के रूप में भी देखा जाता है।
- यह मानव जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में मदद करते हुए चयापचय, अंतःस्रावी और कई अन्य बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा विज्ञान के एक प्रमुख घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

Yojna IAS

- चिकित्सीय अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला और COVID-19 के प्रबंधन में इसके उपयोग के लिए पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में यह एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है।

तारापुर नरसंहार: बिहार

- हाल ही में, बिहार के मुख्यमंत्री ने 90 साल पहले बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर (अब उपखंड) में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को "शहीद दिवस" के रूप में मनाने की घोषणा की है।
- 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तारापुर नरसंहार ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार था।

तारापुर नरसंहार:

- 15 फरवरी, 1932 को, युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई।
- पुलिस को इस योजना की जानकारी थी और कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे.
- 4,000 की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें एक नागरिक प्रशासन अधिकारी घायल हो गया।
- पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। करीब 75 राउंड फायरिंग के बाद मौके पर ही 34 शव मिले, हालांकि इससे भी बड़ी संख्या में मौत का दावा किया जा रहा था।
- मृतकों में से केवल 13 की पहचान की गई थी।

विरोध का कारण:

- 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने से पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई।
- गांधी-इरविन समझौते के निरस्त होने के बाद 1932 की शुरुआत में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
- इस समझौते से गांधीजी लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए (कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था) और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हुई।
- कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित किया गया और नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद को भी जेल में डाल दिया गया।
- मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी श्रीकृष्ण सिंह, नेमधारी सिंह, निरपद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, बासुकीनाथ राय, दीनानाथ सहाय और जयमंगल शास्त्री को गिरफ्तार किया गया।
- कांग्रेस नेता सरदार शार्दुल सिंह कविस्वर द्वारा सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान तारापुर में गूंज उठा।

Yojna IAS

ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)

- हाल ही में, ल्यूकेमिया से पीड़ित एक अमेरिकी महिला डोनर-व्युत्पन्न स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से एचआईवी से ठीक होने वाली पहली महिला (दुनिया में ऐसा तीसरा मामला) बन गई है। यह डोनर प्राकृतिक रूप से एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) वायरस के लिए प्रतिरोधी था।
- ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है जो शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है।
- यह एचआईवी के कारण होने वाले लक्षणों या सिंड्रोम का एक समूह है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स हो जाएगा।

ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV):

- एचआईवी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सीडी-4, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका (टी-सेल) पर हमला करता है।
- टी-कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जो कोशिकाओं में असामान्यताओं और संक्रमणों का पता लगाने के लिए शरीर के चारों ओर घूमती हैं।
- शरीर में प्रवेश करने के बाद, एचआईवी वायरस की संख्या तेजी से बढ़ती है और यह सीडी -4 कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है, इस प्रकार मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है।
- एक बार यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद इसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है।
- एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की सीडी-4 कोशिकाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। यह ज्ञात है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या 500-1600 के बीच होती है, लेकिन एचआईवी से संक्रमित लोगों में सीडी-4 कोशिकाओं की संख्या 200 से नीचे जा सकती है।

भारत में एचआईवी/एड्स

- भारत एचआईवी अनुमान 2019 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अनुमानित वयस्क (15 से 49 वर्ष) एचआईवी प्रसार की प्रवृत्ति 2000 में महामारी के चरम के बाद से घट रही है और हाल के वर्षों में स्थिर बनी हुई है।
- वर्ष 2019 में वयस्क पुरुषों में एचआईवी का प्रसार 24% और वयस्क महिलाओं में 0.20% होने का अनुमान लगाया गया था।
- वर्ष 2019 में, 23.48 लाख भारतीय एचआईवी से संक्रमित थे और उनकी संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में थे।

मूल कोशिका

- स्टेम कोशिकाएँ विशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं जो स्वयं को दोहरा सकती हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। उनके पास दो अद्वितीय गुण हैं जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाते हैं।
- वे बार-बार विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं।
- विभाजित होने के बाद, वे शरीर बनाने के लिए अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकते हैं।

Yojna IAS

- स्टेम सेल कई प्रकार के होते हैं और ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर पाए जाते हैं।
- कैंसर और इसका उपचार हेमटोपोइएटिक स्टेम कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल स्टेम सेल होते हैं जो रक्त कोशिकाओं में बदल जाते हैं।

स्टेम सेल की उपयोगिता:

- अनुसंधान: यह बुनियादी जीव विज्ञान को समझने में मदद करता है कि जीवित चीजें कैसे काम करती हैं और बीमारी के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है।
- थेरेपी- खोई या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए जिन्हें शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या है?

- स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक चिकित्सा पद्धति है जो किसी के स्टेम सेल को स्वस्थ कोशिकाओं से बदल देती है। प्रतिस्थापन कोशिकाओं को या तो व्यक्ति के अपने शरीर से या किसी अन्य व्यक्ति से लिया जा सकता है।
- अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है।
- प्रत्यारोपण का उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर, जैसे ल्यूकेमिया, मायलोमा, और लिम्फोमा, और अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले अन्य रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों के इलाज के लिए किया जा सकता है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS